

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषय:-स्वाधीनता दिवस समारोह-2018 के अवसर पर योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने बाबत्।

स्वाधीनता दिवस समारोह-2018 के अवसर पर राजस्थान सिविल सेवा (ईनाम, योग्यता पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना) नियम, 1973 के नियम-7 के अन्तर्गत जिला कलेक्टरों, राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/मण्डलों/बोर्ड/जिला परिषद आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. विभाग अपने स्तर पर प्रस्ताव का परीक्षण कर न्यूनतम दो वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन "उत्कृष्ट" श्रेणी तथा शेष "बहुत अच्छा" श्रेणी के होने पर ही सात वर्षों यथा वर्ष 2011-2012 से 2017-18 तक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सहित प्रेषित किये जावें। अन्यथा प्रस्ताव को अपूर्ण मानकर उस पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव की सिफारिश व विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर, आठ प्रतियों में प्रेषित करें।
3. प्रस्ताव के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टियाँ पूर्ण करें।
4. प्रस्ताव के साथ उल्लेखनीय कार्य का संक्षिप्त विवरण, जो लगभग एक पृष्ठ से अधिक नहीं हो, हिन्दी भाषा में आठ प्रतियों में स्वच्छ टंकित कर संलग्न करें।
5. राजपत्रित अधिकारियों/अराजपत्रित कर्मचारियों के अलग-अलग प्रस्ताव भेजें।
6. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के प्रस्ताव, संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव के माध्यम से भेजे जावें।
7. प्रपत्र के कॉलम संख्या-5 का प्रमाणिकरण अभिलेख के आधार पर करें।
8. एक विभाग से अधिकतम 2 राजपत्रित अधिकारियों व 2 अराजपत्रित कर्मचारियों के नाम योग्यता प्रमाण-पत्र के लिये प्रस्तावित किये जावें।
9. एक सहकारी संस्था/नगरपालिका/निगम/मण्डल/बोर्ड/जिला परिषद से अधिकतम एक ही अधिकारी या कर्मचारी का प्रस्ताव भेजें।
10. जिला कलेक्टरों को योग्यता प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिए प्रशासनिक विभाग तीन-तीन जिला कलेक्टरों के नामों की सिफारिश के प्रस्ताव उनके द्वारा सम्पादित निम्नांकित (1) राजस्व वसूली तथा राजस्व संबंधी प्रकरणों का निपटारा (2) बीस सूत्री कार्यक्रम तथा अन्य विशिष्ट योजना/योजनान्तर्गत कार्यक्रम की उपलब्धियाँ (3) विकास संबंधी कार्य (4) कानून एवं व्यवस्था संबंधी कार्य इत्यादि कार्यों/उपलब्धियों के तुलनात्मक विवरण के साथ संबंधित प्रशासनिक विभाग अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव, मय वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के साथ आठ प्रतियों में संबंधित मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर भिजवावें।
11. पूर्व में योग्यता प्रमाण-पत्र से सम्मानित जिला कलेक्टर/अधिकारी/कर्मचारी के प्रस्ताव नहीं भेजें जावें तथा प्रत्येक प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भेजते समय यह भी प्रमाणित करें कि पूर्व में योग्यता प्रमाण-पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है।

12. प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रेषित करते समय यह उल्लेखित किया जावे कि इस प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पिछले 7 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर लिया गया है।

अतः कृपया आपके अधीन नियोजित जिला कलेक्टरों, अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु उनके सेवाकाल विवरण तथा उनकी सेवायें किस प्रकार असाधारण रूप से उपयोगी सिद्ध हुई, के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर, प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में दिनांक 25 जुलाई, 2018 तक अवश्यमेव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। ताकि यथा समय उन पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

साथ ही यह भी लेख है कि संबंधित प्रशासनिक विभाग प्रस्ताव भेजते समय अधिकारी/कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदनों का वांछित मूल्यांकन करके ही प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- प्रपत्र।

 12.6.2018

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिवगण।

अशा० टीप क्रमांक: प० 25(1)म.म. / 2018

जयपुर, दिनांक:— 12/6/18

- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राज०, जयपुर।
- समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- सचिव, राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
- प्रतिलिपि समस्त जिला कलेक्टर एवं विभागाध्यक्षों को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को दिनांक 20.07.2018 तक संलग्न प्रपत्र में प्रेषित किये जावें, ताकि प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत परीक्षण कर अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव निर्धारित तिथि 25.07.2018 तक मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाये जा सके। प्रशासनिक विभाग की बिना टिप्पणी/सिफारिश के सीधे ही मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावेगी।
- समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण, राज्यमंत्रीगण एवं संसदीय सचिवगण।
- प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज०, जयपुर को प्रकाशनार्थ।


(अनिल कुमार गुप्ता)
शासन उप सचिव

स्वाधीनता दिवस समारोह-2018 के अवसर पर जिला कलेक्टरों तथा सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/मण्डलों/बोर्डों एवं जिला परिषदों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में जिला कलेक्टर/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

1. (क) नाम:

(ख) पदनाम, पै-बैण्ड, वर्तमान वेतन एवं ग्रेड-पे सहित:

(ग) नियुक्ति के दिनांक से आज तक धारित किये गये पद:

(घ) सेवा का नाम(राजपत्रित/अराजपत्रित):

(ड.) घर का पता:

(च) टेलीफोन नं० (निवास/कार्यालय)/मोबाईल नं./ई-मेल

2. जन्म तिथि:

3. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख:

4. ऐसे कार्य से संबंधित सूचना जिसके अधीन अभ्यर्थी के चयन के लिए विचार किया गया है।

5. जिला कलेक्टर/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण-पत्र:

(क) अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।

(ख) अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व में दण्डित नहीं किया गया है।

6. विभाग/प्रशासनिक विभाग की अनुशंषा:

7. इनके विरुद्ध क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है, यदि हों तो उसका विवरण:

8. उपरोक्त के अलावा इनको सामान्य प्रतिष्ठा पुरस्कार दिये जाने लायक है या नहीं?

9. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई है:

10. जिला कलेक्टर/विभागाध्यक्ष की टिप्पणी:

11. अन्य कोई सुसंगत सूचना:

जिला कलेक्टर/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांक

स्वाधीनता दिवस समारोह-2018 के अवसर पर जिला कलेक्टर, राज्य सरकार तथा सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/मण्डलों/बोर्ड एवं जिला परिषदों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विभागीय अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

1. (क) नाम:

(ख) पदनाम, पै-बैण्ड, वर्तमान वेतन एवं ग्रेड-पे सहितः

(ग) नियुक्ति के दिनांक से आज तक धारित किये गये पदः

(घ) सेवा का नाम(राजपत्रित/अराजपत्रित):

(ड.) घर का पता:

(च) टेलीफोन नं० (निवास/कार्यालय)/मोबाइल नं०/ई-मेल

2. जन्म तिथि:

3. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीखः

4. ऐसे कार्य से संबंधित सूचना जिसके अधीन अभ्यर्थी के चयन के लिए विचार किया गया है।

5. क्या जिला कलेक्टर/विभागाध्यक्ष की अभिशंषा प्राप्त है:-

6. विभाग/प्रशासनिक विभाग की अनुशंषा:

7. इनके विरुद्ध क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है, यदि हॉ तो उसका विवरणः

8. उपरोक्त के अलावा इनको सामान्य प्रतिष्ठा पुरस्कार दिये जाने लायक है या नहीं?

9. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई है:

10. अन्य कोई सुसंगत सूचना:

प्रशासनिक विभाग के अतिमुख्य सचिव/प्रमुख
शासन सचिव/शासन सचिव के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांकः